संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
विन्ध्याचल भवन, चतुर्थ तल
भोपाल

Phone: 0755-2578491; FAX 2768159

Email: dirhort@mp.nic.in

वर्ष 2018–19 में फलदार पौधों के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर

- प्री–बिड कान्फ्रेंस
  दिनांक 14 मार्च 2018 अपरान्ह 1 बजे
- तकनीकी ऑफर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
  दिनांक 22 मार्च 2018 अपरान्ह 2 बजे तक
- तकनीकी ऑफर खोलने की अंतिम तिथि
  दिनांक 24 मार्च 2018 अपरान्ह 3.30 बजे तक
- वित्तीय ऑफर खोले जाने की अनुमानित तिथि
  दिनांक 5 अप्रैल 2018 अपरान्ह 2 बजे तक

संयुक्त संचालक

उद्यानिकी प्रक्षेत्र वानिकी

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

विन्ध्याचल भवन, चतुर्थ तल भोपाल

मुख्या/उद्यानिकी/2018–19/ भोपाल, दिनांक मार्च 2018

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर सी ओ) सूचना

संचालनालय द्वारा वर्ष 2018–19 के लिये निम्नानुसार फलदार पौधों के प्रदाय के लिये नर्सरी धारकों अथवा ऐसी विपणन संस्थाएं, जिनको राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा फलदार पौधों (प्लाटिंग मटेरियल) की प्रदायगी हेतु पंजीयन किया हो अथवा ऐसी विपणन संस्था से पौधे क्रय किये जाने की अनुशंसा की गई हो, से निम्नानुसार फलदार पौधों के क्रय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर सी ओ) आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	फलदार पौधे का नाम	कलम का प्रकार	पॉलिथिन बैग की साईज(इंच)	पौधों की उॅचाई(फुट में)	प्रजाति का नाम
1	आम	ग्राफ्टेड	6x8	3.0	दशहरी,लॅगडा,हिमसागर, चौसा ,आम्रपाली,मल्लिका, केसर
2	अमरूद	ग्राफ्टेड	5x7	3.0	एल 49, ललित,सरदार, इलाहाबाद सफेदा, श्वेता, थाईग्वावा
		टिश्यूकल्चर	4x6	1 से 1.5	व्हाईट/रेड वेराईटी
3	नीबू	लेयरिंग	5x7	2.0	कागजी, सीडलेस
		टिश्यूकल्चर	4x6	1 से 1.5	कागजी
		बीजू	5x7	3.0	कागजी
4	संतरा	बडेड	5x7 या 140 पौधों के बंडल	3.0	नागपुरी, किन्नो
5	मोसंम्मी	बडेड	5x7 या 140 पौधों के बंडल	3.0	न्यूसेलर
6	बेर	बडेड	5x7	1.5	एपिल
7	अनार	टिश्यूकल्चर	4x6	1 से 1.5	भगवा/सुपर भगवा
		लेयरिंग	5x7	1.5	भगवा
8	सीताफल	ग्राफ्टेड	5x7	2.0	बालानगर, अर्कास्यान
9	कटहल	ग्राफ्टेड	5x7	2.0	रूद्राक्ष
10	चीकू	ग्राफ्टेड	5x7	2.0	काली पत्ती, क्रिकेटबॉल
					योग

इस रेट कान्टेक्ट के अंतर्गत लगभग 2 करोड 25 लाख पौधे क्रय किये जाना अनुमानित है।

आर सी ओ में निर्दिष्ट आर्हताएं पूर्ण करने वाले नर्सरी धारक/उपर्युक्त विपणन संस्थाएं, जिनकी नर्सरियां इन्टीग्रेटेड मिशन आन हार्टिकल्चर डेवलपमेंट (MIDH) अथवा नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड अथवा राज्यों में लागू नर्सरी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव मय संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 22 मार्च 2018 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत जानकारी www.mpeproc.gov.in, संचालनालय की वेबसाईट पर www.mphorticulture.gov.in पर उपलब्ध है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/ परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

संयुक्त संचालक उद्यान

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

विन्ध्याचल भवन, चतुर्थ तल

भोपाल

रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना

यह दस्तावेज निम्नानुसार 22 पृष्ठ का है :–

कमांक	विवरण	परिशिष्ठ कमांक	पृष्ठ कमांक
1	डिस्क्लेमर	परिशिष्ठ 1 का बिन्दु 1	4
2	रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना के अन्तर्गत पंजीयन की प्रक्रिया	परिशिष्ठ 1 का बिन्दु 2	4
3	कार्य के अवसर	परिशिष्ठ 1 का बिन्दु 3	4
4	प्रदायकर्ता को निर्देश	परिशिष्ठ 1 का बिन्दु 4	4
5	प्रदाय की सामान्य शर्ते	परिशिष्ठ 2	5–9
6	तकनीकी योग्यता – दस्तावेज जिनको वेबसाईट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है	परिशिष्ठ 3	10
7	प्रदायकर्ता को निर्देश	परिशिष्ठ 4	11
8	सामग्री के मापदण्ड	परिशिष्ठ 5	12
9	प्रदायकर्ता की आर्हताएं एवं वित्तीय प्रस्ताव	परिशिष्ठ 6 एवं 7	13–15
11	प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	परिशिष्ठ 8	16
12	अनुबंध का प्रारूप	परिशिष्ठ 9 एवं 9 अ	17–19
13	रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में भाग लेने हेतु सहमति / घोषणा पत्र	परिशिष्ठ 10	20
14	प्रदायकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ठ 11	21
15	योजनान्तर्गत जिलों की जानकारी जहां पौधे प्रदाय किये जाना है	परिशिष्ठ 12	22

परिभाषाएं :

●	संचालनालय		मध्यप्रदेश शासन का संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
●	नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम अन्तर्गत आंवटित जिले		जिलो की जानकारी परिशिष्ठ कमांक 12 पर उपलब्ध है।
●	आवेदन प्रपत्र / दस्तावेज		आर सी ओ में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों से है।
●	नर्सरी धारक		से तात्पर्य है नर्सरियों के स्वामी, जिनकी नर्सरी नेशनल मिशन आन हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अथवा नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड अथवा राज्यों में लागू नर्सरी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना के अन्तर्गत प्रदाय हेतु आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लिया गया हो
●	विपणन संस्था		विपणन संस्था से तात्पर्य संस्था / कम्पनी है, जो नर्सरी धारकों से समन्वय कर एग्रीगेटर के रूप में फलदार पौधों के प्रदाय से संबद्ध है।
●	प्रदायक		ऐसे नर्सरी धारक / विपणन संस्थाएं जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा संचालनालय से नर्सरी फलदार पौधों के प्रदाय हेतु द्वारा अनुबंध किया गया हो।
●	संकल्प धनराशि (ई एम डी)		रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना के अन्तर्गत प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नर्सरी धारक / विपणन संस्थां द्वारा जमा की गई राशि, जो भुगतान की अंतिम अवधि तक संचालनालय के पास सुरक्षा निधि के रूप में जमा रहेगी।
●	आयुक्त / संचालक		आयुक्त / संचालक से आशय संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के आयुक्त / संचालक से है।

अस्वीकरणीय (DISCLAIMER)

यद्यपि रेट कान्ट्रेक्ट आफर को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज प्रपत्र पूर्ण है, इस बात की संतुष्टी नर्सरी धारक अथवा विपणन संस्थाऐं स्वयं कर लेवें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर में यदि कोई कमी है, तो सूचना जारी होने के 10 दिवस में संचालनालय को इसकी सूचना देवे। ऐसी सूचना संचालनालय को प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज पूर्ण है एवं नर्सरी धारक/विपणन संस्थाएं इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज की पूर्णता से संतुष्ट है।

2. रेट कान्ट्रेक्ट आफर **की प्रकिया :**

नर्सरी फलदार पौधों के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर अन्तर्गत नर्सरी धारक/विपणन संस्थाएं जिनकी नर्सरी नेशनल मिशन आन हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अथवा नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड अथवा राज्यों में लागू नर्सरी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, फलदार पौधों के प्रदाय हेतु दर प्रस्ताव ई टेन्डिरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये जाने है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रकिया निम्नानुसार है :

प्रकियाओं का विवरण	नियत दिनांक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज का डाउनलोड किया जाना	दिनांक 3 मार्च 2018 से दिनांक 22 मार्च 2018 अपरांह 1 बजे तक
प्री– बिड कान्फ्रेंस	दिनांक 14 मार्च 2018 अपरांह 1 बजे
रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज को वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 22 मार्च 2018 अपरांह 2 बजे तक
वेबसाईट पर अपलोड किये गये तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण	दिनांक 24 मार्च 2018 अपरांह 3.30 बजे
योग्य प्रस्तावकों के वित्तीय आफर खोले जाने की अनुमानित तिथि	दिनांक 5 अप्रैल 2018 को अपरांह 3.30 बजे । यह तिथि अनुमानित है यदि इसमें कोई परिवर्तन होगा तो इसकी सूचना वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।

3. **कार्य के अवसर :–**

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी में नर्मदा देवी नर्मदे कार्यक्रम गतवर्ष से क्रियान्वित है, जिसके अन्तर्गत विभाग को प्रदेश के चयनित जिलों में वांछित फलदार पौधों की आवश्यकता होगी। यदि आवश्यकता हुई तो अन्य योजनाओं में भी हितग्राहियो/विभाग द्वारा फलदार पौधों का कय किया जा सकेगा।

4. **पंजीयन हेतु प्रदायकों को निर्देश :–**

4.1 सभी नर्सरी धारकों/विपणन संस्थाओं से वांछित है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ का तथा इसमे वर्णित शर्तो को सावधानीपूर्वक अध्ययन करे ।

4.2 डिजीटल सिग्नेचर के साथ रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज में दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव को वेबसाईट पर अपलोड करे। यदि नर्सरी धारक/विपणन संस्था द्वारा प्रस्ताव अपलोड नही किया जाता है तथा हार्ड कापी ही प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसे नर्सरी धारक के दर प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा।

4.3 रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी पी आई के रिजाल्यूशन में जे पी जी अथवा पी डी एफ फार्मेट में अपलोड करे। अन्य किसी फार्मेट में अपलोड किये गये प्रपत्रों को मान्य नही किया जाएगा। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये, तो नर्सरी धारक द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड कापी को अंतिम मान्य किया जाएगा।

4.4 वेबसाईट से डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये **प्रपत्रों की स्केन कापी एवं ई एम डी का बैंक ड्राफ्ट दिनांक 24 मार्च 2018 अपरान्ह 2 बजे तक संचालनालय** में प्रस्तुत करे।

4.5 सभी नर्सरीधारकों से वांछित है कि प्रस्ताव अपलोड करने के लिये अंतिम तिथि का इन्तजार नही करे ताकि सर्वर, नेट वर्क आदि की समस्याओं से बचा जा सके।

परिशिष्ट 2

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
विन्ध्याचल भवन, चतुर्थ तल
भोपाल

रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज

वर्ष 2018–19 के लिये परिशिष्ठ 5 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले एवं परिशिष्ठ 6 के अनुसार निर्धारित आर्हताओं को पूर्ण करने वाले नर्सरी धारकों से संचालनालय में पंजीयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

वेबसाईट www.mpeproc.gov.in. पर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी **परिशिष्ट कमांक 3**, नर्सरीधारक/विपणन संस्था को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सामान्य **निर्देश परिशिष्ठ कमांक 4** तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों के मापदण्ड **परिशिष्ट 5** पर पर संलग्न है। रेट कान्ट्रेक्ट के संबंध में शंका – समाधान हेतु दिनांक 14 मार्च 2018 को अपरान्ह 1 बजे प्री–बिड कान्फ्रेंस गुलाब उद्यान भोपाल में आयोजित है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर से संबंधित सामान्य शर्ते निम्नानुसार है :–

1. <u>प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आहर्ता</u>

   आर सी ओ में भाग लेने के लिये नर्सरी धारक/विपणन संस्था की आर्हताएं **परिशिष्ठ कमांक 6** अनुसार रहेंगी।

2. **रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज का कय**

   रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज का मूल्य रू. 10,000.00 (वापसी योग्य नही) है तथा निर्धारित राशि का ऑनलाईन भुगतान कर नर्सरी धारक इस प्रपत्र को वेबसाईट www.mpeproc.gov.in. से डाउनलोड कर सकेंगे।

3. <u>प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रकिया :–</u>

   (अ) वेबसाईट www.mpeproc.gov.in. से डाउनलोड किये गये **रेट कान्ट्रेक्ट आफर** प्रस्ताव प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए प्रस्ताव के साथ अपलोड किया जाना एवं हार्ड कापी संचालनालय में निर्धारित समय एवं तिथि तक प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी। ई निविदा पद्धति के अन्तर्गत अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की दशा में प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति को अंतिम मान्य किया जाएगा।

   (ब) एक नर्सरी धारक/विपणन संस्था से एक ही प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। यदि एक से अधिक प्रस्ताव अपलोड किये जाते है तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अमान्य किया जाएगा।

   (स) प्रस्ताव के साथ संकल्प धन राशि के रूप में राशि जो परिशिष्ठ कमांक 5 के बिन्दु कमांक 5.1 अनुसार होगी का बैंक ड्राफ्ट जो संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के नाम से भोपाल देय हो, हार्ड प्रति के साथ संलग्न होना आवश्यक है। संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव मान्य नहीं किया जावेगा।

   (ड) प्रदाय हेतु तकनीकी विवरण को एक बन्द लिफाफे में नर्सरी धारक/विपणन संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। लिफाफे में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजो का विवरण **परिशिष्ठ कमांक 8** पर सलग्न है। परिशिष्ठ कमांक 8 में दर्शाये अनुसार प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 22 मार्च 2018 अपरान्ह 2 बजे अथवा इसके पूर्व अपलोड किये जाने आवश्यक होंगे।

लिफाफे के उपरी भाग पर प्रस्तावकर्ता निम्नानुसार जानकारी अंकित करेगे :–

1. सामग्री का नाम (ऐसे फलदार पौधें जिनकों नर्सरी धारक द्वारा प्रदाय किये जाने हेतु दर प्रस्ताव दिया गया है, के नामों का उल्लेख लिफाफे पर किया जाए) के प्रदाय हेतु संकल्प धन राशि एवं अन्य तकनीकी विवरण – नियत तिथि 24 मार्च 2018 के अपरान्ह 2.00 बजे के पूर्व बाक्स (जो इस संचालनालय षष्टम तल पर रखा जाएगा) में प्रस्तुत किये जा सकेगे।

4. सशर्त प्रस्ताव अमान्य किया जाएगा ।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी। सशर्त प्रस्ताव को अमान्य किया जावेगा ।

5. संकल्प धन राशि :–

रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव के साथ संकल्प धन राशि (परिशिष्ठ क्रमांक 5 के बिन्दु क्रमांक 5.1 अनुसार होगी) का बैंक ड्राफ्ट जो संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के नाम से भोपाल देय हो, नर्सरी धारक/विपणन संस्था को प्रस्तुत करना आवश्यक है। संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव को अमान्य किया जायेगा।

पूर्व में संचालनालय में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नही किया जाएगा।

6. संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना :–

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

1. ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व नर्सरी धारक/विपणन संस्था के द्वारा अपना प्रस्ताव वापस लिये जाने की दशा में।
2. प्रस्ताव के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. ऑफर अनुसार गुणवत्ता युक्त फलदार पौधें प्रदाय न कर पाने की दशा में
4. नर्सरी धारक/विपणन संस्था द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे संचालनालय की छबि को हानि पहुंचे।
5. संचालक के निर्णयानुसार

7. धरोहर राशि :–

(अ) नर्सरी धारक/विपणन संस्था के द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि नर्सरी धारक/विपणन संस्था के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् सुरक्षा निधि राशि के रूप में संचालनालय के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।

(ब) अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि समाप्त होने के बाद कोई विवाद न होनें की दशा में नर्सरी धारक/विपणन संस्था द्वारा लिखित में मांगे जाने पर सुरक्षा निधि राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।

(स) सुरक्षा निधि राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

(1) संचालनालय अथवा जिलो में पदस्थ संचालनालय के अधिकारियों के आदेश के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर ।

(2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मांपदण्डों के अनुरूप न होनें की दशा में ।

(3) नर्सरी धारक/विपणन संस्था द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करनें पर जिससे संचालनालय की छबि को हानि पहुंचे/कोई व्यवसायिक हानि हो ।

(4) संचालक के निर्णयानुसार

8. प्रस्ताव की वैधता :–

प्राप्त प्रस्ताव खोले जाने की तिथि से 180 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे ।

9. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव का खोला जाना :–

रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव बाक्स में दिनांक 16 मार्च 2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक जो प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उनके द्वारा अपलोड की गई तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेजों एवं लिफाफा में प्रस्तुत की गई जानकारियों का परीक्षण उपस्थित नर्सरी धारकों/विपणन संस्थाओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 24 मार्च 2018 अपरान्ह 3.30 बजे संचालनालय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा।

परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये नर्सरी धारकों/विपणन संस्थाओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे, जिसकी सूचना विभाग की वेबसाईट पर दी जाएगी।

10. **दरें स्वीकार की जाना :–**

10.1 योग्य पाये गये प्रस्तावकों के वित्तीय प्रस्तावों को खोला जाएगा।

10.2 प्रस्तावक जिनके द्वारा न्यूनतम दर **एल 1** प्रस्तुत की गई है, की दर को स्वीकार किया जाएगा।

10.3 न्यूनतम दर उचित (Reasonable) नहीं पाये जाने की दशा में द्वितीय न्यूनतम दर देने वाला प्रस्तावक की दरों को स्वीकार किया जायेगा।

10.4 न्यूनतम दर देने वाले नर्सरी धारक/विपणन संस्था को, उनके द्वारा घोषित फलदार पौधों की उपलब्ध मात्रा के आदेश दिये जाऐंगे।

10.5 न्यूनतम दर देने वाले नर्सरी धारक/विपणन संस्था की नर्सरियों से मांग के अनुरूप वांछित फलदार पौधों की मात्रा उपलब्ध नही होने की दशा में अन्य नर्सरी धारकों, एल–1 पर सभी को काउंटर ऑफर दिये जायेंगे। संचालनालय के द्वारा दी गयी प्रतिप्रस्तावित दरों को स्वीकार करने की दशा में ऐसे प्रस्तावकों को प्रदाय आदेश जारी किये जाऐंगे।

10.6 तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये प्रस्तावकों की नर्सरियों का भौतिक सत्यापन 7 दिवस में करने के बाद वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे।

11. **अनुबंध का निष्पादन :–**

(अ) जिन नर्सरी धारकों/विपणन संस्थाओं की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन नर्सरी धारकों को प्रतिप्रस्ताव दिया गया है, को अनुबंध निष्पादित करने हेतु सूचना दी जावेगी एवं ऐसी सूची संचालनालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। ऐसे नर्सरी धारक को प्रतिप्रस्तावित दरों को मान्य करने की दशा में निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट क. 9**) में राशि रूपये 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा अनुबंध को नोटराइज कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे प्रस्तावकर्ता जिन्हे प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नही है , को '' प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नही है '' बाबत सूचना संचालनालय को ई–मेल एवं हार्ड कापी के द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रेषित करना आवश्यक होगी। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में प्रस्तावकर्ता द्वारा संचालनालय को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) जिन नर्सरी धारकों/विपणन संस्थाओं की दरों को स्वीकार किया गया है तथा ऐसे प्रस्तावकर्ता(ओं) द्वारा निर्धारित समय सीमा में संचालनालय के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्तुत रेट कान्टेक्ट ऑफर प्रस्ताव को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को संचालनालय जप्त (Forfite) कर सकेगा।

(स) संचालनालय से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात **प्रस्तावकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा**।

12. **प्रदाय की प्रकिया –**

(अ) संचालनालय अथवा जिला अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रदाय आदेशानुसार निर्धारित अवधि में निर्धारित स्थल पर तथा आदेशित मात्रा के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के फलदार पौधों का प्रदाय प्रदायक द्वारा किया जाना आवश्यक है।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी । किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जिला उद्यान अधिकारी द्वारा नामांकित प्रतिनिधि एवं प्रदायक द्वारा शिकायत स्थल का निरीक्षण किया जायेगा एवं शिकायत सही होने पर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उपयोगकर्ता को उनके नुकसान की नियमानुसार भरपाई भी **प्रदायक** करेगा।

(स) विभाग द्वारा जारी कय आदेश के अनुसार निर्धारित स्थल पर निर्धारित अवधि के भीतर फलदार पौधों को प्रदाय करना अनिवार्य होगा। परिवहन में सुविधा हो सके इस हेतु विभाग द्वारा संबंधित जिले में स्थापित विभागीय नर्सरियों में फलदार पौधों को रखे जाने की व्यवस्था की गई है।

(द) प्रदायक से निर्धारित मापदण्ड के फलदार पौधें प्राप्त होने के 10 दिवस के भीतर प्राप्त पौधों का संचालनालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावेगा। फलदार पौधें अमानक पाये जाने पर उन्हे स्वीकार नही किया जायेगा एवं ऐसे अमानक पौधों को वापस लेने की जवावदारी प्रदायकर्ता की होगी ।

(य) विभाग द्वारा निर्धारित रोपणी पर फलदार पौधे प्राप्त होने के बाद सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जावेगी, प्रदायकर्ता को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल संचालनालय को लिखित में अवगत कराना होगा ।

(र) निर्धारित स्थल के आस पास स्वयं की रोपणी होने पर अथवा निजी भूमि/लीजभूमि पर भी फलदार पौधों को प्रदायक द्वारा रखा जा सकता है। जिला अधिकारियों द्वारा सीधे उक्त स्थल से भी फलदार पौधों को कृषको के प्रदाय किया जा सकेगा।

(ल) निर्धारित मापदण्ड पूरे करने के बावजूद भी निम्न परिस्थितियों में संबंधित लाट अस्वीकृत करने का अधिकार संचालनालय को रहेगा –

1. फलदार पौधों को प्रदाय करने के 15 दिन की अवधि के भीतर मृत हो जाने की दशा में ।
2. निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।

13. **बिना आदेश** के/मौखिक आदेश पर कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नही किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है, तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये संचालनालय जिम्मेदार नही होगा।

14. फलदार पौधेां के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रकिया एवं समय सीमा :–

(अ) संचालनालय के आदेशानुसार प्रदायक द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर फलदार पौधेां को प्रदाय करना होगा।

(ब) आदेशित मात्रानुसार फलदार पौधे संचालनालय की नर्सरियों तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

(स) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में ऐसी सामग्री के कन्साइनमेंट को सक्षम अधिकारी की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा। असहमति की दशा में सक्षम अधिकारी प्रदायक को कारण से अवगत करायेगा।

(द) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण संचालनालय को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली प्रदायक की धरोहर राशि एवं भुगतान हेतु प्रस्तुत अन्य देयकों से संचालनालय द्वारा की जावेगी। हानि की राशि का निर्धारण संचालक द्वारा किया जावेगा, जिसे प्रदायक को मान्य करना होगा। साथ ही संचालनालय ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये, जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा **ऐसे प्रदायक को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा।**

15. आदेश की प्रकिया :–

(अ) मांग के आधार पर आदेश संचालनालय द्वारा जारी किये जायेंगे।

(ब) सामग्री की प्रदायगी निर्दिष्ट नर्सरी पर की जाना आवश्यक होगी।

(स) जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में यदि परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी एवं प्रदायक को नवीन शेड्यूल के मान से आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान प्रदायक को नही किया जावेगा ।

(द) परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी ।

16. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :–

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/पैकिग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :–

(अ) उचित/निर्धारित मापदण्ड/पॉलिथिन बैग/पौधे स्वस्थ्य न होने की दशा में ।

(ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में ।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे संचालनालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में संचालनालय कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

17. प्रदायक द्वारा जो दरें प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। संचालनालय के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी संचालनालय के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा संचालनालय के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही संचालनालय प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगें।

18. प्रस्तावकर्ता/प्रदायक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफरप्रस्ताव प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली-भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तो पर सहमत है।

19. रेट कान्ट्रेक्ट आफरप्रस्ताव के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में नर्सरी धारक/विपणन संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी निरस्त कर सकेगे एवं नर्सरी धारक/विपणन संस्था द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त कर सकेगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को 3 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकेगा। इस संबंध में संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

20. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।

21. यदि आवश्यक हुआ तो नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य-दिवस में नर्सरी धारक/विपणन संस्था की नर्सरी/नर्सरियों का निरीक्षण कर सकेगे।

22. प्रदायक एवं संचालनालय के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण संयुक्त संचालक को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण आयुक्त/संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

23. आयुक्त/संचालक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव की किसी भी शर्त में अनुबंध निष्पादन के पूर्व परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

संयुक्त संचालक उद्यान

तकनीकी योग्यता–दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है :–

क्रमांक	विवरण
1	प्रस्तावकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (PAN) **नोट :–** प्रस्तावकर्ता फर्म प्रोपाईटरी फर्म होने की दशा में प्रोपायटरी शिप संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रस्तावकर्ता का व्यक्तिगत आयकर पंजीयन मान्य होगा, अतः उपर्युक्त दस्तावेज अपलोड करे।
2	विक्रय कर विभाग द्वारा जारी जी एस टी नम्बर
3	नर्सरियां के स्वामी (नर्सरियों का समूह) जिनकी नर्सरी इन्टीग्रेटेड मिशन आन हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अथवा नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड अथवा राज्यों में लागू नर्सरी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है के पंजीयन की स्व– प्रमाणित प्रति । नर्सरियां जिनके उत्पाद विपणन संस्था द्वारा प्रदाय किये जाएगे। **विपणन संस्था ऐसी नर्सरियों के पंजीयन की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगी।** टिश्यूकल्चर पौधों के प्रकरण में डिपार्टमेन्ट ऑफ बॉयो टेक्नालॉजी, भारत सरकार द्वारा जारी D.B.T. प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करना आवश्यक होगी।
4	फलदार पौधों की प्रजातीवार मात्रा का विवरण जो नर्सरी धारक द्वारा प्रदाय की जा सकेगी। नर्सरियां जिनके फलदार पौधों विपणन संस्था द्वारा प्रदाय किये जाएगे, विपणन संस्थाएं नर्सरीवार तथा प्रजातिवार फलदार पौधों की मात्रा का विवरण प्रस्तुत करेगी ।
5	प्रदाय किये जा रहे फलदार पौधों के मापदण्ड परिशिष्ठ 5 पर दर्शाये अनुसार होंगे बाबत अन्डरटेकिंग
6	संकल्प धन राशि रू परिशिष्ट कमॉक 5.1 अनुसार बैंक ड्राफ्ट की फोटोप्रति
7	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट आफरप्रस्ताव प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत नर्सरी धारक/विपणन संस्था द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित प्रपत्र अपलोड किया जाना है
8	नर्सरी धारक/विपणन संस्था द्वारा परिशिष्ट 11 के अनुसार राशि रू 1000/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग

*** आवश्यकता होने पर अपलोड किये जाए**

तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन :–

प्रदायक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा । योग्य प्रस्तावको के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाऐंगे।

प्रस्तावक द्वारा दी गई जानकारियों विशेष रूप से फलदार पौधों की उपलब्धता का सत्यापन संचालनालय क्रय समिति द्वारा किया जावेगा।

भौतिक सत्यापन उपरांत प्राप्त प्रस्ताव अनुसार सत्यता पाये जाने के बाद ही तकनीकी योग्यता को मान्य किया जावेगा ।

तकनीकी योग्यता अमान्य होने की स्थिति में उक्त प्रदायक को वित्तिय ऑफर देने का अधिकार नहीं होगा।

नर्सरी धारक / विपणन संस्था के लिये सामान्य निर्देश

1. रेट कान्ट्रक्ट आफर प्रस्ताव प्रपत्र www.mpeproc.gov.in. से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। नर्सरी धारक / विपणन संस्था द्वारा रेट कान्टेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाना एवं सील लगायी जाना आवश्यक है। रेट कान्टेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाने एवं सील नही लगाये जाने की दशा में प्रस्ताव अमान्य किया जाएगा।
2. परिशिष्ट कमांक 3 के अनुसार स्व–प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है।
3. रेट कान्ट्रक्ट आफर प्रपत्र में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
4. रेट कान्ट्रक्ट आफर के अनुसार संकल्प धनराशि रू 10,00,000 /.. बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा की जाना आवश्यक है।
5. परिशिष्ट 6 में दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
6. निर्धारित समय तक रेट कान्ट्रक्ट आफर अपलोड किये जाने तथा हार्ड प्रति संचालनालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
7. रेट कान्ट्रक्ट आफर के अन्तर्गत प्राप्त सशर्त प्रस्ताव अस्वीकार किये जाएगें।

फलदार पौधों की अनुमानित मांग (मात्रा) एवं निर्धारित तकनीकी मापदण्ड

कं.	फलदार पौधे का नाम	कलम का प्रकार	पॉलिथिन बैग की साईज(इंच)	पौधों की उॅचाई(फुट में)	प्रजाति का नाम
1	आम	ग्राफ्टेड	6x8	3.0	दशहरी,लॅगडा,हिमसागर, चौसा ,आम्रपाली,मल्लिका, केसर
2	अमरूद	ग्राफ्टेड	5x7	3.0	एल 49, ललित,सरदार, इलाहाबाद सफेदा, श्वेता, थाईग्वावा
		टिश्यूकल्चर	4x6	1 से 1.5	व्हाईट / रेड वेराईटी
3	नीबू	लेयरिंग	5x7	2.0	कागजी, सीडलेस
		टिश्यूकल्चर	4x6	1 से 1.5	कागजी
		बीजू	5x7	3.0	कागजी
4	संतरा	बडेड	5x7	3.0	नागपुरी, किन्नो
5	मोसंम्मी	बडेड	5x7	3.0	न्यूसेलर
6	बेर	बडेड	5x7	1.5	एपिल
7	अनार	टिश्यूकल्चर	4x6	1 से 1.5	भगवा / सुपर भगवा
		लेयरिंग	5x7	1.5	भगवा
8	सीताफल	ग्राफ्टेड	5x7	2.0	बालानगर, अर्कास्यान
9	कटहल	ग्राफ्टेड	5x7	2.0	रूद्राक्ष
10	चीकू	ग्राफ्टेड	5x7	2.0	काली पत्ती, क्रिकेटबॉल
					योग

उक्त मात्रा अनुमानित है जो कि प्रदायगी के समय कम / अधिक हो सकती है

5.1. संकल्प धन राशि :–

संकल्प धन राशि रू 10,00,000 / ..का बैंक ड्राफ्ट जो संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल के नाम से भोपाल देय होगा जो कि तकनीकी ऑफर हार्ड प्रति के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

5.2 **प्रस्तावक द्वारा परिशिष्ठ कमांक 7 में वित्तीय प्रस्ताव के साथ नर्सरी में उपलब्ध फलदार पौधें जो इस रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत प्रदाय किये जाऐंगे की जानकारी भी दी जाऐंगी। प्रदाय किये जाने वाले फलदार पौधों की गणित राशि के 5 प्रतिशत राशि परफार्मेन्स ग्यारण्टी के रूप में प्रस्तावक द्वारा दी जाएगी। परफार्मेन्स ग्यारण्टी बैंक के माध्यम से दी जा सकेगी।**

फलदार पौधें के प्रदाय के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तावकर्ता की आर्हताएं

नर्सरी धारक / विपणन संस्था जो निम्नानुसार शर्ते पूरी करता हो :–

1. नर्सरी धारक / विपणन संस्था द्वारा 10 लाख फलदार पौधों का प्रदाय शासकीय विभागों को विगत 3 वर्षो (वर्ष 15–16, 16–17 एवं 17–18) में किया गया हो। प्रमाण स्वरूप जारी क्रय आदेश,देयकों की प्रतियां, एवं भुगतान प्राप्ति संबंधी दस्तावेजों की छाया प्रतियां जिनको चार्टड अकाउन्टेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।
2. नर्सरी धारक / विपणन संस्था की नर्सरी / नर्सरियों में धारक न्यूनतम 3 लाख पौधे की उपलब्धता होना आवश्यक है। विपणन संस्था नर्सरी वार फलदार पौधों की संख्या की जानकारी देंगी जिनके फलदार पौधें विपणन संस्था द्वारा प्रदाय कराऐं जाऐंगे।
3. नर्सरी धारक / विपणन संस्था जिनकी नर्सरी इन्टीग्रेटेड मिशन आन हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अथवा नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड अथवा राज्यों में लागू नर्सरी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। टिश्यूकल्चर पौधों के प्रकरण में डिपार्टमेन्ट ऑफ बॉयो टेक्नालॉजी, भारत सरकार द्वारा जारी D.B.T. प्रमाण पत्र होना चाहिये।
4. नर्सरी धारक / विपणन संस्था के पास आयकर नम्बर (PAN) एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी जी एस टी उपलब्ध है।
5. नर्सरी धारक की नर्सरी को फलदार पौधों की जिस प्रजाति के लिये मान्यता, एन.एच.बी. / एन.एच.एम. से मान्यता प्राप्त है अथवा राज्य के नर्सरी अधिनियम में नर्सरी धारक द्वारा पंजीयन कराया गया है एवं डिपार्टमेन्ट ऑफ बॉयो टेक्नालॉजी, भारत सरकार द्वारा जारी D.B.T. प्रमाण पत्र हो, नर्सरी धारक ऐसी ही प्रजाति के पौध प्रदाय के लिये दर प्रस्तुत कर सकेगी
6. विपणन संस्थाऐ इस आशय का अंडरटेकिंग पृथक से प्रस्तुत करेगी कि उनके द्वारा विपणन किये जा रहे फलदार पौधों की प्रजातियाँ उन नर्सरियों से प्राप्त की जा रही है जो नर्सरियाँ एन.एच.बी. / एन.एच. एम. से मान्यता प्राप्त हैं अथवा राज्य के नर्सरी अधिनियम में नर्सरी धारक द्वारा ऐसी प्रजातियों के लिये पंजीयन कराया गया है एवं D.B.T. प्रमाण पत्र हो।
7. टिश्यूकल्चर D.B.T. सर्टिफिकेट, प्रमाणित प्रयोगशाला से ही मान्य होंगे।

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
विन्ध्याचल भवन, चतुर्थ तल, भोपाल

वर्ष 2018–19 फलदार पौधें **के प्रदाय हेतु आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वित्तीय प्रस्ताव**

1.नर्सरी धारक / विपणन संस्था का नाम एवं पता ....

दूरभाष कमांक .... मोबाईल नं. ....

फलदार पौधे

क.	फलपौध का नाम	किस्म का नाम	प्रदाय दर रूपये प्रति पौधा सभी कर सहित एफ. ओ.आर.विभाग की निर्दिष्ट नर्सरी तक राशि रू		नर्सरी में उपलब्ध फलदार पौधों की संख्यां	संचालनालय को उपलब्ध करायी जा सकने वाली मात्रा
			अंकों में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6	7
1	आम ग्राफटेड	दशहरी				
		लॅगडा				
		हिमसागर				
		चौसा				
		आम्रपाली				
		मल्लिका				
		केसर				
2	अमरूद ग्राफटेड	एल 49				
		ललित				
		सरदार				
		इलाहाबाद सफेदा				
		स्वेता				
		थाईग्वावा				
	अमरूद टिश्यूकल्चर	रेड / व्हाईट वेराईटी				
3	नीबू लेयरिंग	कागजी				
		सीडलेस				
	नीबू बीजू	कागजी				
	नीबू टिश्यूकल्चर	कागजी				

क्र.	फलपौध का नाम	किस्म का नाम	प्रदाय दर रूपये प्रति पौधा सभी कर सहित एफ.ओ.आर.विभाग की निर्दिष्ट नर्सरी तक राशि रू		नर्सरी में उपलब्ध फलदार पौधों की संख्यां	संचालनालय को उपलब्ध करायी जा सकने वाली मात्रा
			अंकों में	शब्दों में		
4	संतरा बडेड	नागपुरी				
		किन्नो				
5	मोसम्मी बडेड	न्यूसेलर				
6	बेर बडेड	एपिल				
7	अनार टिश्यूकल्चर	भगवा/सुपर भगवा				
	अनार लेयरिंग	भगवा				
8	सीताफल ग्राफटेड	बालानगर				
9	कटहल ग्राफटेड	रूद्राक्ष				
10	चीकू ग्राफटेड	काली पत्ती				
		किक्रेट बॉल				

हार्ड प्रति में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजों का विवरण :–

1. परिशिष्ट–3 में वर्णित किये गये दस्तावेजों जिनको प्रस्तावक द्वारा अपलोड किया गया है की हार्ड प्रतियॉ
2. परिशिष्ट–10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 1000.00 के स्टाम्प पेपर पर रेट कान्ट्रेक्ट में भाग लेने हेतु सहमति पत्र। नर्सरी धारक/विपणन संस्था का नाम किसी भी शासकीय विभाग, निगम मंडल एवं किसी बैक द्वारा काली सूची में दर्ज नही है और न ही किसी प्रकार का कानूनी विवाद है, इस आशय का घोषणा पत्र। यदि नर्सरी धारक/विपणन संस्था की ओर से अन्य व्यक्ति/संस्था प्रस्ताव/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करती है तो नर्सरी धारक/विपणन संस्था द्वारा जारी किये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति **परिशिष्ट 10** के अनुसार।

2. नर्सरी धारक/विपणन संस्था का वाणिज्य कर, (टिन) एवं आयकर विभाग का पंजीयन (पेन) की स्व–प्रमाणित प्रति।
3. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये आहर्ताएं परिशिष्ट– 6 के अनुसार वांछित दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रति।
4. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर सील एवं प्रस्तावकर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक है।
5. संकल्प धन राशि का बैंक ड्राफ्ट ।

वित्तीय प्रस्ताव :–

परिशिष्ट कमांक 7 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय प्रस्ताव जिसे वेबसाईट पर ही अपलोड किया जाना है।

:: अनुबंध ::

(राशि रू. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक .... को संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी जो कि म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधीनस्थ है तथा आगे इसे ''संचालनालय'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... की ओर से श्री .... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि संचालनालय द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर एवं फलदार पौधें के प्रदाय हेतु . ... को रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये गये एवं प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड करते हुए एवं रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव की सभी शर्तो को मान्य करते हुए रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रकिया में भाग लिया गया है । रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा है।

संचालनालय द्वारा पत्र कमांक .... दिनांक .... से प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर उल्लिखित दरों को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

संचालनालय द्वारा प्रदायक की फलदार पौधें हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर उल्लेखित है एवं प्रदायक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव की निर्धारित शर्तो अनुसार फलदार पौधें प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

परिशिष्ट कमांक 5 की कंडिका कमांक 5.2 में उल्लिखित परफार्मेन्स ग्यारण्टी के रूप में राशि रू. .... का बैंक ड्राफ्ट/ (बैंक का नाम).. द्वारा जारी बैंक ग्यारण्टी पत्र संलग्न है

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होगें। शर्तो एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो संचालनालय पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की अभिरूचि प्रस्ताव प्रपत्र अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक ....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव व संलग्नक जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

प्रदायक	संयुक्त संचालक उद्यान
गवाह : 1.	गवाह : 1.

प्रदायक का नाम एवं पता ....

....

फोन नम्बर .... फैक्स नम्बर ....

मोबाईल नं. ....

क्र.	फलपौध का नाम	किस्म का नाम	प्रदाय दर रूपये प्रति पौधा सभी कर सहित एफ.ओ.आर.विभाग की निर्दिष्ट नर्सरी तक राशि रू		नर्सरी में उपलब्ध फलदार पौधों की संख्यां	संचालनालय को उपलब्ध करायी जा सकने वाली मात्रा	अनुमानित राशि रू में
			अंकों में	शब्दों में			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आम ग्राफटेड	दशहरी					
		लॅगडा					
		हिमसागर					
		चौसा					
		आम्रपाली					
		मल्लिका					
		केसर					
2	अमरूद ग्राफटेड	एल 49					
		ललित					
		सरदार					
		इलाहाबादसफेदा					
		स्वेता					
		थाईग्वावा					
	अमरूद टिश्यूकल्चर	रेड/व्हाईट वेराईटी					
3	नीबू लेयरिंग	कागजी					
		सीडलेस					
	नीबू बीजू	कागजी					
	नीबू टिश्कल्चर	कागजी					

निरन्तर .....

क्र.	फलपौध का नाम	किस्म का नाम	प्रदाय दर रूपये प्रति पौधा सभी कर सहित एफ. ओ.आर.विभाग की निर्दिष्ट नर्सरी तक राशि रू		नर्सरी में उपलब्ध फलदार पौधों की संख्यां	संचालनालय को उपलब्ध करायी जा सकने वाली मात्रा	अनुमानित राशि रू में
			अंकों में	शब्दों में			
4	संतरा बडेड	नागपुरी					
		किन्नो					
5	मोसम्मी बडेड	न्यूसेलर					
		लोकल					
6	बेर बडेड	एपिल					
7	अनार टिश्यू कल्चर	भगवा/सुपर भगवा					
	अनार लेयरिंग	भगवा					
8	सीताफल ग्राफटेड	बालानगर					
9	कटहल ग्राफटेड	रूद्राक्ष					
10	चीकू ग्राफटेड	काली पत्ती					
		किक्रेट बॉल					

परिशिष्ट–10

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

विन्ध्याचल भवन, चतुर्थ तल

भोपाल

वर्ष 2018–19 में फलदार पौधें के प्रदाय हेतु

रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव बाबत् सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो संचालनालय द्वारा आमंत्रित अभिव्यक्ति की अभिरूचि प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । मेसर्स ....द्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। **रेट कान्ट्रेक्ट आफर** प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तो के अनुसार फलदार पौधें के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

संचालनालय द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री मध्य प्रदेश में निर्दिष्ट स्थल पर प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत संचालनालय द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा प्रस्ताव की शर्तो का उल्लंघन होने से संचालनालय को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति संचालनालय हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये ..../– एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये .... एवं परफामेंन्स ग्यारण्टी राशि रू .... प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में में धरोहर राशि के रूप में संचालनालय के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफरप्रस्ताव की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

प्रस्तावकर्ता के हस्ताक्षर

एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

Directorate of Horticulture & Farm Forestry

Vindhyachal Bhawan, 4th Floor ,

Bhopal

DETAILS OF THE Nursery Holder/Marketing Agency

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.	------------------------------------ -----------------------------------
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/Person /Chairman/Managing Director	-----------------------------
	PHONE NO. Fax. No.	Office : Mobile : Fax__________
	E mail	
3	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. Date_______________
4	GST Registration.	
5	**Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).**	
6	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker Name of the Branch Tel.No. Bank Account No
7	State whether Producer / Distributor / Dealer.	__________
8	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).	Yes / No.
9	**Have you ever supplied any item to Directorate If yes, give details of item and year of supply.**	-----------------------
10	Are you having any local office in Bhopal ? If yes, please give details of address, Telephone No. Fax No. etc.	---------------------

Signature of Offerer

नमामी देवी नर्मदे मिशन के अन्तर्गत सम्मिलित जिलों की जानकारी

कमांक	जिले का नाम
1	अनूपपुर
2	डिण्डोरी
3	मंडला
4	जबलपुर
5	सिवनी
6	नरसिंहपुर
7	होशंगाबाद
8	हरदा
9	कटनी
10	छिंदवाडा
11	बालाघाट
12	बैतूल
13	देवास
14	सीहोर
15	रायसेन
16	खंडवा
17	खरगोन
18	बडवानी
19	धार
20	अलीराजपुर
21	इंदौर
22	बुरहानपुर
23	सागर
24	दमोह